



Neutral Citation No. - 2026:AHC:48676

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 2747 वर्ष 2026

रविकांत श्रीवास्तव

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याची के अधिवक्ता	: संतोष मणि शुक्ला
प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता	: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याची के विद्वान अधिवक्ता श्री ए.के. तिवारी (AoR A/A 0088/12), श्री संतोष मणि शुक्ला के स्थान पर अस्थायी रूप से न्यायालय में उपस्थित होते हुए, तथा राज्य-प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह को सुना गया।
2. याची का कथन है कि उसे वर्ष 2019 में प्रत्यर्थी संख्या 3, जो कि एक आउटसोर्सिंग एजेंसी है, के माध्यम से ए.आर.टी.ओ., आजमगढ़ के कार्यालय में डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में नियोजित किया गया था तथा उसने दिनांक 29.11.2025 तक कार्य किया। इसके पश्चात आउटसोर्सिंग एजेंसी के परिवर्तन के कारण उसे पुनः नियोजित नहीं किया गया।
3. वर्तमान रिट याचिका में याची की प्रार्थना उसे पुनः नियोजित एवं पुनर्नियुक्त किए जाने की है।
4. राज्य-प्रत्यर्थीगण की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि जब स्वयं याची का यह कथन है कि उसे एक आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा नियोजित किया गया था, तब उसका उपाय अन्यत्र उपलब्ध है।
5. अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत कथनों को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
6. जब याची को एक आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा नियोजित किया गया था, तब आउटसोर्सिंग एजेंसी के परिवर्तन के उपरांत उसे पुनः नियोजित नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में याची के

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



लिए यह अपेक्षित है कि वह उक्त आउटसोर्सिंग एजेंसी के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही करे, जिसके लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका उपयुक्त उपचार नहीं है।

7. तदनुसार, वर्तमान रिट याचिका का **निस्तारण** इस स्वतंत्रता के साथ किया जाता है कि याची विधि द्वारा उपलब्ध उपयुक्त उपायों का अवलंबन करे।

दिनांक : 10 मार्च, 2026

राजेश

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।